संजीव®

नवीन संस्करण
2023-24

राजस्थान सरकार
नवीनतम फ्लैगशिप
एवं अन्य
योजनाएँ/कार्यक्रम

मार्गदर्शक एवं लेखक

मनोहर सिंह कोटड़ा
R.A.S. - 2012 एवं R.A.S. - 2013 में चयनित

दीपा रत्नू
विशेषज्ञ - राजस्थान सामान्य ज्ञान

विशेष आभार

- डॉ. दीपेश कुमार सैनी
- सी.पी. शर्मा
- धीरज सोनी
- अर्जुन देवासी

संजीव प्रकाशन, जयपुर

- **प्रकाशक :**
  संजीव प्रकाशन
  धामाणी मार्केट,
  चौड़ा रास्ता, जयपुर-03
  website : www.sanjivprakashan.com

- **© दीपा रत्नू**

- **संस्करण : 2023-24**

- **मूल्य : ₹ 150.00**

- *लेजर टाइपसैटिंग :*
  संजीव प्रकाशन (D.T.P. Department), जयपुर

- *मुद्रक :* विकास बुक बाईंडर, जयपुर

- इस पुस्तक में प्रामाणिक स्रोतों से विषय सामग्री का संकलन किया गया है, साथ ही इस पुस्तक में त्रुटियों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। किसी भी त्रुटि के पाये जाने पर अथवा किसी भी तरह के सुझाव के लिए आप हमें निम्न पते पर email या पत्र भेजकर सूचित कर सकते हैं-

  email:sanjeevcompetition@gmail.com

  पता : प्रकाशन विभाग, संजीव प्रकाशन
  धामाणी मार्केट, चौड़ा रास्ता, जयपुर।

  आपके द्वारा भेजे गये सुझावों से अगला संस्करण और बेहतर हो सकेगा।
- इस पुस्तक के किसी भी अंश का पुनरुत्पादन या किसी प्रणाली के सहारे पुनर्प्राप्ति का प्रयास अथवा किसी भी तकनीक या तरीके-इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या वेब माध्यम से लेखक एवं प्रकाशक की अनुमति के बिना प्रकाशन या वितरण नहीं किया जा सकता है।
- हमने अपने प्रयास से इस पुस्तक के तथ्यों तथा विवरणों को उचित स्रोतों से प्राप्त किया है। इस पुस्तक में प्रकाशित किसी भी सूचना की सत्यता या त्रुटि के प्रति तथा इससे होने वाली किसी भी क्षति के लिए लेखक, प्रकाशक, संपादक तथा मुद्रक किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं हैं।
- सभी प्रकार के विवादों का न्याय क्षेत्र 'जयपुर' होगा।

राजस्थान सरकार : नवीनतम फ्लैगशिप एवं अन्य योजनाएँ/कार्यक्रम 2023-24

प्राक्कथन

राजस्थान, **भारत का सबसे वृहद् एवं प्रमुख उदीयमान राज्य** है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति में **सरकार के लोक कल्याणकारी प्रयासों** के तहत समाज से वंचित वर्गों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न विभागों द्वारा **जन कल्याणकारी योजनाएँ** एवं **विविध विकास कार्यक्रमों** का संचालन किया जाता है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों की सहायता से **सामाजिक असमानता** एवं **क्षेत्रीय विषमता** को दूर करने का प्रयास किया जाता है।

राजस्थान सरकार द्वारा **महिला, बालक-बालिका, किशोर, युवा, वृद्धजन, विशेष योग्यजन, विद्यार्थी, किसान, उपभोक्ता, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक, ई.डब्ल्यू.एस., पशुपालक, मत्स्यपालक, श्रमिक, लघु उद्यमी, वनवासी, घुमन्तु-अर्द्ध घुमन्तु-विमुक्त, ट्रांसजेंडर** इत्यादि वर्गों के कल्याण हेतु संबंधित विभागों के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है।

जनगणना-2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग **3/4 भाग ग्रामीण** एवं **1/4 भाग नगरीय** क्षेत्रों में निवास करता है। ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग एवं नगरीय क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु नगरीय स्थानीय स्वशासन विभाग तथा नगरीय विकास एवं आवासन विभागों द्वारा विविध योजनाओं/कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। इसके अलावा राज्य के विभिन्न पिछड़े भौगोलिक क्षेत्रों यथा मरु, मेवात, मगरा, डाँग इत्यादि के आधारभूत विकास हेतु भी विविध विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

राजस्थान राज्य के **आधारभूत संरचना के समग्र विकास** हेतु परिवहन, विद्युत, पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा-स्वास्थ्य, कृषि इत्यादि क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा **प्राथमिकता** से विशेष प्रयास करके चलाए जाने वाली **चयनित योजनाओं** को '**फ्लैगशिप योजनाएँ**' कहा जाता है। वर्तमान में **राजस्थान सरकार** के **16 विभागों** द्वारा कुल **33 फ्लैगशिप** योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

प्रस्तुत पुस्तक में **राजस्थान सरकार द्वारा संचालित फ्लैगशिप एवं अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों** के बारे में तथ्यात्मक एवं अद्यतन जानकारी **निवर्तमान 33 जिलों** के आधार पर दी गयी है।

-संकलनकर्ता

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	अध्याय का नाम	पृष्ठ क्रमांक
1.	राजस्थान सरकार की वर्तमान फ्लैगशिप योजनाएँ	5
2.	राजस्थान सरकार की नवीनतम योजनाएँ/कार्यक्रम	15
3.	ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएँ/कार्यक्रम	18
4.	पंचायतीराज विभाग की योजनाएँ/कार्यक्रम	23
5.	स्वायत्त शासन विभाग की योजनाएँ/कार्यक्रम	24
6.	नगर नियोजन विभाग की योजनाएँ/कार्यक्रम	29
7.	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की योजनाएँ/कार्यक्रम	30
8.	महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएँ/कार्यक्रम	32
9.	बाल अधिकारिता विभाग की योजनाएँ/कार्यक्रम	37
10.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामलात विभाग की योजनाएँ/कार्यक्रम	39
11.	उपभोक्ता मामले विभाग की योजनाएँ/कार्यक्रम	39
12.	प्रारंभिक शिक्षा विभाग की योजनाएँ/कार्यक्रम	39
13.	माध्यमिक शिक्षा विभाग की योजनाएँ/कार्यक्रम	42
14.	उच्च शिक्षा विभाग की योजनाएँ/कार्यक्रम	45
15.	संस्कृत शिक्षा विभाग की योजनाएँ/कार्यक्रम	46
16.	तकनीकी शिक्षा विभाग की योजनाएँ/कार्यक्रम	47
17.	चिकित्सा शिक्षा विभाग की योजनाएँ/कार्यक्रम	47
18.	कृषि विभाग की योजनाएँ/कार्यक्रम	50
19.	जल संसाधन (सिंचाई) विभाग की योजनाएँ/कार्यक्रम	55
20.	उपनिवेशन विभाग की योजनाएँ/कार्यक्रम	56
21.	उद्यान निदेशालय की योजनाएँ/कार्यक्रम	56
22.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाएँ/कार्यक्रम	57
23.	निदेशालय विशेष योग्यजन की योजनाएँ/कार्यक्रम	63
24.	श्रम विभाग की योजनाएँ/कार्यक्रम	65
25.	कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की योजनाएँ/कार्यक्रम	68
26.	पशुपालन विभाग की योजनाएँ/कार्यक्रम	69
27.	गोपालन विभाग की योजनाएँ/कार्यक्रम	71
28.	खान एवं भू-विज्ञान विभाग की योजनाएँ/कार्यक्रम	72
29.	मत्स्यपालन विभाग की योजनाएँ/कार्यक्रम	74
30.	जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग की योजनाएँ/कार्यक्रम	74
31.	पर्यटन विभाग की योजनाएँ/कार्यक्रम	76
32.	उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की योजनाएँ/कार्यक्रम	78
33.	सहकारिता विभाग की योजनाएँ/कार्यक्रम	92
34.	पुलिस विभाग की योजनाएँ/कार्यक्रम	99
35.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की योजनाएँ/कार्यक्रम	101
36.	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की योजनाएँ/कार्यक्रम	102
37.	जलग्रहण क्षेत्र विकास एवं मृदा संरक्षण विभाग की योजनाएँ/कार्यक्रम	104
38.	राजस्थान की विगत परीक्षाओं में फ्लैगशिप एवं अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित पूछे गये प्रश्नों सहित महत्त्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न	106

1. राजस्थान सरकार की वर्तमान फ्लैगशिप योजनाएँ

- राजस्थान सरकार द्वारा संचालित **फ्लैगशिप योजनाओं** की मॉनिटरिंग (संधारण) **आयोजना विभाग** (Department of Planning) द्वारा की जाती है।
- वर्तमान में **राजस्थान सरकार** द्वारा **16 नोडल विभागों** की निम्नानुसार कुल **33 फ्लैगशिप योजनाएँ** संचालित की जा रही हैं–

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

1. 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान

- **उद्देश्य :** राज्य के नागरिकों को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने हेतु राज्य में **खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनिमय, 2011** का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएँ उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा **26 अक्टूबर, 2020 से 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान** चलाया जा रहा है।
- यह अभियान **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति** तथा **उपभोक्ता मामले विभाग** द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है।
- राजस्थान में 22.06.2020 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में **राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण** का गठन किया गया है।

2. निरोगी राजस्थान अभियान

- प्रदेश के समस्त **नागरिकों के लिए स्वास्थ्य समस्याओं और उनके निदान** के लिए **18 दिसम्बर, 2019** से बीमारियों की रोकथाम व उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग** द्वारा **'निरोगी राजस्थान'** जागरूकता अभियान की शुरुआत की गयी।
- राज्य के प्रत्येक **राजस्व ग्राम** एवं **नगरीय वार्ड** में एक **स्वास्थ्य मित्र** (महिला एवं पुरुष) का चयन कर प्रशिक्षण दिया गया है।
- निरोगी राजस्थान अभियान के **मुख्य उद्देश्य** निम्न हैं—
  - **जनसंख्या नियंत्रण** (परिवार कल्याण कार्यक्रम)
  - **वृद्धावस्था में स्वास्थ्य की देखभाल** (जेरियेट्रिक सेंटर)
  - **महिला स्वास्थ्य** (एनीमिया, कुपोषण, स्तन व बच्चेदानी का कैंसर, माहवारी)
  - **किशोरावस्था** स्वास्थ्य (एनीमिया , कुपोषण, मोटापा, माहवारी स्वच्छता)
  - **संचारी रोग** (मौसमी बीमारियाँ)
  - **गैर-संचारी रोग** (जीवनशैली आधारित - मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मनोरोग, हृदयरोग, पक्षाघात, कैंसर, फेफड़ा संबंधी रोग)
  - **टीकाकरण एवं वयस्क टीकाकरण** (सम्पूर्ण टीकाकरण)
  - **व्यसन रोग** (शराब, ड्रग्स, तम्बाकू)
  - **खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना**
  - **प्रदूषण नियंत्रण**
- उपरोक्त उद्देश्यों के लिए स्वयंसेवी व्यक्तियों को अवैतनिक रूप से **'स्वास्थ्य मित्र'** बनाया गया है।

3. मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना

- **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग** द्वारा **2 अक्टूबर, 2011** से शुरू की गई मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले **सभी अंतरंग एवं बहिरंग रोगियों को आवश्यक दवा (औषधियां) नि:शुल्क** उपलब्ध करवाई जाती हैं।
- इस योजना के तहत वर्तमान में **आवश्यक दवा सूची** के अनुसार **1331** औषधियाँ, **956** सर्जिकल्स एवं **185** सूचर्स (कुल-**2472**) सूचीबद्ध हैं। (जून, 2023)
- राज्य के सभी **चिकित्सा संस्थानों** में दवा वितरण के लिए **33** जिला मुख्यालयों पर **40 जिला औषधि भंडार गृह** (DDCs) स्थापित किए गये हैं।
- **राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन** (RMSC) का गठन औषधियों/सर्जिकल एवं सूचर्स के क्रय हेतु एक केन्द्रीय एजेन्सी के रूप में **4 मई, 2011** को किया गया है।
- यह योजना **1 मई, 2022** से **मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान योजना** में समाहित कर दी गई है।

4. मुख्यमंत्री नि:शुल्क जाँच योजना

- **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग** द्वारा **7 अप्रैल, 2013** से राजकीय अस्पतालों में संपूर्ण उपचार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से नि:शुल्क जाँच हेतु जनहित में **'मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना'** लागू की गई।
- राज्य के **सभी चिकित्सा संस्थानों** यथा मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध चिकित्सालयों में **90,** जिला, उपजिला, सेटेलाइट चिकित्सालयों में **56,** सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में **37,** प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व डिस्पेंसरी चिकित्सालयों में **15** प्रकार की जाँचें नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

5. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

- राजस्थान में **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग** द्वारा **1 मई, 2021** को **मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना** (एम.एम.सी.एस.बी.वाई.) शुरू की गई है।
- **उद्देश्य :** योजना के लाभार्थियों को योजना से संबद्ध सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों में नि:शुल्क उपचार उपलब्ध करवाना।
- वर्तमान में **बजट घोषणा 2023-24** के अनुसार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेश के **प्रत्येक परिवार** को **25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा** दिया जा रहा है।
- योजनान्तर्गत अस्पताल में भर्ती होने के **5 दिन** पहले एवं **15 दिन** बाद तक का उपचार व्यय भी शामिल है।
- **लाभान्वित वर्ग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम** (NFSA) में चयनित परिवार तथा **सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011** के अन्तर्गत पात्र परिवार, इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के समस्त सरकारी विभागों में कार्यरत **संविदा कार्मिक, लघु एवं सीमान्त कृषकों** तथा **कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त परिवारों** को नि:शुल्क एवं शेष परिवार प्रीमियम राशि के 50 प्रतिशत (**850 रुपये** प्रति परिवार, प्रतिवर्ष) का भुगतान कर इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
- **30 जनवरी, 2023** को प्रारम्भ योजना के नये चरण में प्रीमियम राशि ₹ 1662 के स्थान पर ₹ 1965 प्रति परिवार प्रतिवर्ष किया गया है।
- नि:शुल्क लाभार्थी वर्गों का दायरा बढ़ाते हुए सभी **EWS** परिवारों को भी इस योजना का नि:शुल्क लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।
- **4 जुलाई, 2023** को की गई मुख्यमंत्री की घोषणानुसार अब राज्य के बाहर किसी भी अस्पताल में 'नि:शुल्क अंग प्रत्यारोपण' करवाया जा सकेगा।
- योजना में दिनांक **30.06.2023** तक 874 राजकीय एवं 849 निजी चिकित्सालय योजना से संबद्ध हो गये हैं। योजनान्तर्गत **5 लाख रुपये** का **दुर्घटना बीमा** भी **नि:शुल्क** प्रदान किया जाता है, जिसे बजट 2023-24 की घोषणानुसार बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।

6. मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान योजना (नि:शुल्क दवा एवं जाँच)

- राजस्थान के **समस्त राजकीय चिकित्सालयों** में आने वाले राजस्थान के निवासियों को **शत-प्रतिशत दवाईयाँ एवं जाँच** नि:शुल्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग** द्वारा **1 मई, 2022** को प्रारंभ की गयी है।
- इस योजना में अब तक **824** दवाईयों को आवश्यक दवा सूची में शामिल किया जा चुका है। वर्तमान में दवा सूची में **1,331** प्रकार की दवाईयों, **956** सर्जिकल्स एवं **185** सूचर्स को शामिल करते हुए **कुल 2472 औषधियाँ** नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग

7. महात्मा गाँधी इंग्लिश मीडियम स्कूल

- **स्कूल शिक्षा विभाग** द्वारा **राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की जयंती** के अवसर पर वर्ष 2019-20 में **2 अक्टूबर, 2019** को राजस्थान के समस्त 33 जिला मुख्यालयों पर महात्मा गाँधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालयों की स्थापना की गई। **शैक्षणिक सत्र 2020-21** से राज्य के 168 ब्लॉक मुख्यालयों पर महात्मा गाँधी विद्यालय प्रारम्भ किये गये।
- **उद्देश्य :** राजकीय विद्यालयों में **अंग्रेजी माध्यम** का वातावरण उपलब्ध करवाना।
- **लाभान्वित वर्ग :** कक्षा **1 से 12वीं** तक के विद्यार्थी।
- इसी क्रम में **5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों और कस्बों** में 1200 तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एक-एक हजार महात्मा गाँधी विद्यालयों को प्रारम्भ किये जाने के क्रम में कुल 2706 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गाँधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रूपांतरित किया गया है।
- वर्तमान में राज्य में कुल 2682 महात्मा गाँधी विद्यालय संचालित हैं। (**जून, 2023** की स्थिति)

8. मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना

- राजस्थान बजट **2022-23** में घोषित **मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना** की विधिवत शुरुआत **स्कूल शिक्षा विभाग** द्वारा **29 नवम्बर, 2022** को जयपुर से की गयी।
- **उद्देश्य-राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों** के नामांकन में सुधार, उपस्थिति में वृद्धि, ड्रॉप-आउट को रोकना एवं पोषण स्तर में वृद्धि व आवश्यक मेक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएन्ट्स उपलब्ध करवाना।
- इस योजना के तहत राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के कक्षा **1 से कक्षा 8 तक के**

विद्यार्थियों को **पाउडर मिल्क से तैयार दूध सप्ताह में दो बार** (बुधवार व शुक्रवार) प्रार्थना सभा के तुरन्त बाद उपलब्ध करवाया जाता है।* दिवस में अवकाश होने पर दूध अगले दिन उपलब्ध करवाया जाता है।

- बजट घोषणा वर्ष 2023-24 की अनुपालना में बाल गोपाल योजनान्तर्गत विद्यार्थियों को नवीन शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई, 2023 से सप्ताह में 6 दिन दूध उपलब्ध करवाया जायेगा।

- बाल गोपाल योजनान्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को उपलब्ध होने वाले दूध की मात्रा—

क्र. सं.	कक्षा स्तर	पाउडर मिल्क की मात्रा	तैयार दूध की मात्रा प्रति छात्र	चीनी की मात्रा प्रति छात्र
1.	**प्राथमिक** (कक्षा 1 से 5)	15 ग्राम	150 ml	8.4 ग्राम
2.	**उच्च प्राथमिक** (कक्षा 6 से 8)	20 ग्राम	200 ml	10.2 ग्राम

- इस योजनान्तर्गत पाउडर मिल्क की आपूर्ति **राजस्थान को- ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड** (RCDF) द्वारा की जाती है। दूध उपलब्ध करवाए जाने का दायित्व **विद्यालय प्रबंधन समिति** (SMC) का होगा।
- '**मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना**' के प्रभावी व सुव्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर **आयुक्त, मिड डे मील,** जिला स्तर पर संबंधित **जिला कलक्टर,** ब्लॉक स्तर पर **ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,** ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित **पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी** (PEEO), तथा विद्यालय सतर पर **विद्यालय प्रबंध समिति** (SMC) का उत्तरदायित्व रहेगा।

9. मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना

- बजट **2022-23** में घोषित '**मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना**' को **स्कूल शिक्षा विभाग** द्वारा **29 नवम्बर, 2022** को जयपुर से विधिवत रूप से शुरू किया।
- **उद्देश्य**—राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ाने एवं ड्रॉपआउट घटाने, साथ ही किसी भी तरह की आर्थिक अक्षमता शिक्षा की राह में बाधा न बने, के उद्देश्य से कक्षा **1 से 8 तक** राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण कराने हेतु निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना प्रारम्भ की गई।
- इस योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा **1 से 8 तक** के विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म के **2 सेट (जोड़ी)** का कपड़ा निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा।
- यूनिफॉर्म की **सिलाई** के लिए प्रति विद्यार्थी **200 रुपए** सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होंगे।
- मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के अन्तर्गत विद्यार्थी जिस **राजकीय विद्यालय** में पढ़ाई कर रहा है, उसी विद्यालय के माध्यम से यूनिफॉर्म का कपड़ा व सिलाई हेतु 200 रुपए का लाभ मिलेगा।

कक्षा	छात्र/छात्रा	कपड़े की मात्रा
1 से 3	**छात्र**	3.10 मीटर शर्ट व 1.80 मीटर पेंट के लिए
	छात्रा	3.10 मीटर शर्ट व 1.80 मीटर स्कर्ट के लिए
4 से 5	**छात्र**	3.50 मीटर शर्ट व 2 मीटर पेंट के लिए
	छात्रा	3.50 मीटर शर्ट व 2 मीटर स्कर्ट के लिए
6 से 7	**छात्र**	3.80 मीटर शर्ट व 2.10 मीटर पेंट के लिए
	छात्रा	3.80 मीटर कुर्ता व 3.80 मीटर सलवार व 4.50 मीटर चुन्नी के लिए
8	**छात्र**	4.20 मीटर शर्ट व 2.30 मीटर पेंट के लिए
	छात्रा	4.20 मीटर कुर्ता व 4.20 मीटर सलवार व 4.50 मीटर चुन्नी के लिए

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

10. मुख्यमंत्री कन्यादान/हथलेवा योजना

- **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** द्वारा संचालित **सहयोग एवं उपहार योजना** का नाम परिवर्तित कर **मुख्यमंत्री कन्यादान योजना** कर दिया गया है।

- **उद्देश्य :** समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की **कन्याओं के विवाह** पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान करना।
- **लाभान्वित वर्ग**–सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों, अन्त्योदय परिवारों, आस्था कार्डधारी परिवारों एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियाँ।
- दिनांक **29.04.2020** के आदेश द्वारा उक्त के अतिरिक्त **विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार** में लाभार्थी महिलाओं की कन्याओं के विवाह पर तथा **महिला खिलाड़ियों** के स्वयं के विवाह पर सहायता दिये जाने का प्रावधान भी किया गया है।
- योजनान्तर्गत **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग** के **बीपीएल परिवारों** की **18 वर्ष** या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर **31 हजार रुपये;** शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं की कन्याओं के विवाह पर **20 हजार रुपये** तथा विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार में लाभार्थियों की कन्याओं एवं महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह पर **21 हजार रुपये** सहायता स्वरूप प्रदान किये जाएँगे।
- उक्त सभी वर्ग की **10वीं पास** कन्याओं को 10 हजार एवं **स्नातक पास** कन्याओं को 20 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

11. राजस्थान सिलिकोसिस नीति, 2019

- **राजस्थान सिलिकोसिस नीति,** 2019 की शुरुआत, **3 अक्टूबर,** 2019 को **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** के अन्तर्गत **विशेष योग्यजन निदेशालय** द्वारा की गई थी।
- **नीति के उद्देश्य :**
  1. सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों की पहचान, चिकित्सकीय प्रमाणीकरण व इलाज की बेहतर व्यवस्था करना।
  2. खदानों, फैक्ट्रियों और अन्य कार्य-स्थलों को धूल/नियंत्रण मशीनों और साधनों की व्यवस्था के लिए बाध्य (पाबंद) करना।
  3. सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए तत्काल राहत व पुनर्वास की व्यवस्था करना।
  4. बीमारी की रोकथाम व नियंत्रण के उपाय अपनाना
  5. बीमारी के प्रति जागरूकता प्रदान करना।
- **सिलिकोसिस बीमारी** खास तौर पर खनन, पत्थर तोड़ने, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सेंड स्टोन से मूर्ति बनाने जैसे काम में लगे श्रमिकों को होती है।
- योजनान्तर्गत पीड़ितों की **स्क्रीनिंग, उपचार** एवं **प्रमाणीकरण** के साथ उनके आश्रितों को सहायता एवं पुनर्वास का कार्य किया जाता है।
- सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण पर पुनर्वास के लिए रोगी को **3 लाख रुपये** की सहायता दी जाती है।
- रोगी की मृत्युपरांत अंतिम संस्कार हेतु **10 हजार रुपये** एवं परिजनों को **2 लाख रुपये** की सहायता दी जाती है। (कुल सहायता राशि 5 लाख + 10000 = 5.10 लाख)
- सिलिकोसिस पीड़ित को **पेंशन** के रूप में **1 हजार 500 रुपये प्रतिमाह** की सहायता दी जाती है।
- **सिलिकोसिस विधवा पेंशन के अन्तर्गत प्रदत्त राशि–**
  - **55 वर्ष** की आयु तक **500 रुपये** प्रतिमाह।
  - **55 वर्ष से 60 वर्ष** की आयु तक **750 रुपये** प्रतिमाह।
  - **60 वर्ष से 75 वर्ष** की आयु तक **1 हजार रुपये** प्रतिमाह।
  - **75 वर्ष से अधिक** आयु पर **1 हजार 500 रुपये प्रतिमाह।**
- **सिलिकोसिस पीड़ित परिवार को पालनहार योजना में प्रदत्त–**
  - 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को ₹ 500 प्रतिमाह
  - 6-18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को ₹ 1000 प्रतिमाह
  - प्रत्येक बच्चे को ₹ 2 हजार वार्षिक एकमुश्त सहायता।
- सिलिकोसिस पीड़ित एवं उसके परिवार को **आस्था कार्डधारी परिवार** के समान समस्त बीपीएल सुविधाओं यथा **NFSA** आदि से लाभान्वित किया जाता है।

12. मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना

- **प्रारम्भ**–वर्ष 2013 से
- **विभाग**–सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
- इस योजना के तहत **विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं को मासिक पेंशन** प्रदान की जाती है।
- **मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत देय लाभ–**

	लाभार्थी आयु वर्ग	प्राप्त राशि
(i)	18 वर्ष से 55 वर्ष तक	₹ 500
(ii)	55 वर्ष से 60 वर्ष तक	₹ 750
(iii)	60 वर्ष से 75 वर्ष तक	₹ 1000
(iv)	75 वर्ष से अधिक	₹ 1500